IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

efgykvk dk l'kfDrdj.k e ipk;rjkt dh iHkko'khyrk

jru lu

शोधार्थी राजनीति विज्ञान, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

Mk- pruk flg

सह–प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

'kkèk lkjk'k %&

समय–सापेक्ष समाज की नीतिगत व्यवस्था बदलती रहती है। इस बदलाव की पृष्ठभूमि रचने वाले सामान्यतया जनचेतक होते हैं जिनके विचारों और प्रेरणा से सहमत होकर अणुआई करने वाले जनप्रतिनिधि सामाजिक इकाई का गठन कर तत्कालीन समस्याओं की विवेचना करते हुए एक नई दिशा और दृष्टि समाज को देते हैं जिसका प्रतिपाद्य समाज को सशक्त बनाना होता है। लम्बे समयान्तराल के बाद महिलाओं को लेकर होने वाली समाज की विभिन्न विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को समय अनुकूल समाज में अस्तित्व, विकास और नेतृत्व में सहभागिता के लिए कुछ आधारभूत मानकों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जिसे ''महिला सशक्तिकरण'' की नवीन श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, प्रतिनिधित्व, व्यक्तित्व विकास के नवीन मानक निर्धारित हुए। भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाया है जिसका प्रतिपाद्य विभिन्न प्रकार की बाधाओं एवं गैर राजनीतिक परिवारों के बावजूद मिल रहे अवसरों से अपने तथा समाज के विकास में सहभागिता की ललक में वे जन प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आगे आने का प्रयास कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल स्त्रियों को अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण की स्थिति, उसकी चुनौतियाँ, उपलब्धियों और सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका का विश्लेषण करता है।

e[; 'kCn % राजनीतिक सहभागिता, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वावलम्बन, सामाजिक स्थिति।

çLrkouk %&

महिला सशक्तिकरण एक अत्यन्त जटिल, बहुआयामी और ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। भारतीय समाज परंपरागत रूप से एक पितृसत्तात्मक संरचना में ढला हुआ रहा है, जहाँ महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, मतदान का अधिकार, संपत्ति में भागीदारी और जीवन की गरिमा का वचन दिया गया। इसके बावजूद, व्यावहारिक धरातल पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाएँ आज भी कई स्तरों पर संघर्षरत हैं। जो उनके जीवन शैली ओर सामाजिक सरोकार के विविध पहलुओं से स्पष्ट होता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की जड़ें गहराई से प्राचीन काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जुड़ी हुई है। वैदिक काल को स्त्री शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता का एक स्वर्ण युग माना जाता है जिसमें गार्गी, मैत्रयी, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने न केवल वैदिक ज्ञात प्राप्त किया, बल्कि दार्शनिक वाद–विवाद में भाग लेकर पुरुषों के साथ समकक्ष

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

स्थान प्राप्त किया। इन महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि उस काल में स्त्रियों को बौद्धिक एवं सामाजिक उन्नयन का अवसर प्राप्त था। किन्तु समय के साथ समाज में संरचनात्मक परिवर्तन हुए और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी।

उत्तरवैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं ने पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों को बल दिया जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो गई। मध्यकाल में इस गिरावट ने गंभीर रूप धारण किया। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं की सामाजिक बहिष्कृति जैसी कुप्रथाएँ व्यापक रूप से फैलीं। महिलाओं को शिक्षा, सार्वजनिक जीवन और संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया गया जिससे वे एक प्रकार से पुरुषों पर निर्भर प्राणी बनकर रह गई।

ब्रिटिश शासनकाल में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने पुनः एक चेतना का संचार किया। राजा राम मनोहर राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया, जो अंततः 1829 में प्रतिबंधित हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को लेकर आवाज उठाई। इन्होंने स्त्री को सामाजिक दमन ने विरुद्ध खड़ा होना सिखाया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरुणा आसफ़ अली, सरोजिनी नायडू जैसी कई महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभाई। इस काल में महिलाओं ने यह दिखा दिया कि वे केवल गृहस्थ जीवन की परिधि में सीमित रहने वाली इकाई नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय परिवर्तन की वाहक भी बन सकती है।

भारत में भारतियों की प्रशासन समयान्तराल बाद आया जिसमें आधारभूत व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत राज की परिकल्पना जिसके माध्यम से ग्राम स्वराज्य का श्री गणेश प्रारम्भ हुआ। पंचायत राज व्यवस्था भारत के संदर्भ में कोई नया प्रयोग नहीं है। प्राप्त अभिलेखीय जानकारी तथा जनश्रुतियाँ मानव विकास काल से ही पंचायत संस्था के अस्तित्व में होने का संकेत देती हैं। जन चर्चा में यह सूक्ति अक्सर सुनी जाती है कि 'जो लागहि पंचन को नीका', पंच ही परमेश्वर है। आदि प्रसंग ऐसे हैं जो चिंतन परक संगठनात्मक संस्था का अस्तित्व बोध कराते हैं। काल के उतार–चढ़ाव में पंचायत विभिन्न रूपों में पल्लवित और पुष्पित होती रही है। विदेशी आक्रमणकर्ताओं के साथ आई नई व्यवस्था ने भारतीय पंचायत के ढांचे को अस्त–व्यस्त कर दिया। यह प्रभाव सल्तनत काल से लेकर ब्रिटिशकाल तक लगातार किसी न किसी रूप में प्रभावशील रहा।

आजादी के साथ ही भारतीय चिन्तकों ने पंचायत के माध्यम से सहभागी समाज के सुखद विकासोन्मुखी संरचना का स्वप्न देखते हुए अतीत को वर्तमान में रूपायित करने की एक पहल की परन्तु पूर्व के हजार वर्षों के प्रभाव ने पंचायत के अपने पारंपरिक रूप को स्वीकारता प्रदान करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई जिस कारण पंचायत संबंधी अधिनियमों में संशोधन और परिवर्द्धन की गुंजाइस बनी रही। वर्तमान में पंचायत व्यवस्था सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचे में तबदील हो गई है। गौर करें तो आज़ादी के उपरांत पंचायतों को महत्व प्रदान किया गया और संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्यों को पंचायतों के गठन का अधिकार प्राप्त हुआ तथा संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके उससे सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों को प्राप्त हुआ।

1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन कर ग्राम समूहों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायतों, खंड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रस्ताव दिया जिसे 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया। इन संस्तुतियों के आधार पर 1959 को राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इन्हीं अधिनियमों के प्रावधानों पर उसी वर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के नागौर जिले में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

पंचायत व्यवस्था लागू हुई। पंचायत संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा तथा उसमें सुधार के लिए 1986 में एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया जिसमें ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए गांव के पुनर्गठन की सिफारिश की गई।

1989 में 64वां संविधान संशोधन लोक सभा में पेश किया गया जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए लोकसभा द्वारा पारित हुआ किन्तु राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इसके पश्चात 1991 को 72वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसे प्रवर समिति को सौंपा गया जिसने 1992 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दी। जिसका नवीन संस्करण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1993) और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका तथा ग्रामीण विकास के लक्ष्यों पर आधारित है। विधेयक का क्रमांक बदल कर 73वां संविधान संशोधन हो गया, जिसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया। इसमें एक नवीन खंड 9 जोड़ा गया। इस खंड में पंचायत शीर्षक से अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। इस अधिनियम से लोकतंत्र में नए युग का आरम्भ हुआ और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। पंचायत राज के इस नये आयाम ने स्थानीय प्रशासन को लोकोन्मुखी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें समाज को सभी वगों के प्रतिनिधित्व निर्धारित हुआ।

समकालीन समाज में स्थानीय स्तर पर सम्यक् नीति संचालक के लिए पंचायत राज व्यवस्था के तहत समाज के सभी वर्गों को समानता प्रदान करने के लिए महिलाओं को आगे लाने की भूमिका निर्धारित की गयी जिसके तहत पंचायत राज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में महिलाओं के लिए पचास फीसदी स्थान निर्धारित किए गए। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम जैसी इकाइयों के निर्वाचन के दौरान विभिन्न वर्ग समुदाय की महिलाओं के लिए स्थान निर्धारित किये गये। जिसके माध्यम से सीमित दायरे में बँधी महिलाओं को आगे आने का सहज मार्ग प्रशस्त हुआ। घर–परिवार बिरादरों में दूबती–उतराती महिलाओं को पंचायत उपक्रम में अनिवार्य स्थान निर्धारण से जनप्रतिनिधित्व के सामाजिक दायरे से आगे आने के लिए अवसर मिलने लगे।

पंचायतीराज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचित अधिकांश महिलायें या तो अशिक्षित हैं या फिर आंशिक रूप से शिक्षित हैं जिससे समस्याओं को समझने एवं कार्यक्रमों को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके साथ ही दायित्वों के प्रति गंभीरता तथा अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास हुआ है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से स्थानीय जन समूहों को जोड़ना, आर्थिक स्वावलम्बन एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। अतः स्पष्ट है कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम महिला सशक्तीकरण का प्रगति पथ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आज महिलायें न सिर्फ प्रमुख राजनीतिक पदों को सुशोभित कर रही हैं बल्कि पदों से सम्बन्धित कार्यों को बहुत रुचि और लगन के साथ कार्य कर रही हैं और अपने क्षेत्र को मजबूत बना रही हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की उपस्थिति की गति धीमी अवश्य है परन्तु निष्प्रभावी नहीं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 33: सीटें आरक्षित किए जाने से महिलाओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पंचायत आम चुनावँ वर्ष 2022 में भारत में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 17 लाख है। प्रथम लोक सभा में 24 महिला सांसद और वर्तमान लोकसभा में 68 हैं। वही प्रथम राज्य सभा में 15 महिला सांसद और वर्तमान में 68 हैं। विभिन्न राज्यों में स्थानीय निर्वाचनों में वर्गीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व के लिए अनिवार्य महिला आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण निर्वाचन प्रमुख हैं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

दी गई है। निकाय चुनाव के शीर्षस्थ पदों में महिलाओं की भागेदारी के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच, महापौर तथा पार्षद्, जनपद जिला सदस्य आदि महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं असीन होकर अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का दिग्दर्शन होने लगा है।

l'kfDrdj.k dk fy;k uhfr ,o ;ktuk%&भारत सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है, जो न केवल उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्थान को लक्षित करती हैं, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए भी सक्षम बनाती हैं। ये योजनाएँ बहुआयामी हैं– शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सशक्तिकरण, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान जैसे कई क्षेत्रों को समाहित करती हैं।

1 **cVh cpkvk] cVh i<kvk%&** इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना मुख्यतः उन जिलों में केंद्रित है जहाँ बाल लिंगानुपात अत्यंत कम है। इसका उद्देश्य सामाजिक चेतना बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बेटियों को जन्म से ही गरिमा व सुरक्षा प्रदान करना है।

2 **ldU;k lef) ;ktuk%&**यह एक छोटी बचत योजना है जो बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसमें माता–पिता या अभिभावक बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं, जिसमें नियमित जमा राशि पर उच्च ब्याज मिलता है। यह योजना बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल है।

3 **çèkkue=h ekr onuk ;ktuk %&**गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह योजना पोषण और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती है। इसमें पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पोषण व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे सकें। यह योजना मातृत्व के अधिकार और स्वास्थ्य के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

4 **mTToyk ;ktuk%**–इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब महिलाओं को रसोई में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उन्हें धुएँ से मुक्ति दिलाना है। पारंपरिक चूल्हे पर खाना पकाने से होने वाली बीमारियों को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में यह योजना अत्यंत सफल रही है। यह महिला सशक्तिकरण को स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ती है।

5 **;ku mRihMu jkd vfèkfu;e] 2013% %&**इस कानून के तहत महिलाओं को कार्यस्थलों पर सुरक्षित बातावरण प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इसमें हर संस्था में शिकायत समिति का गठन, गोपनीयता की रक्षा, समयबद्ध सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को कार्यक्षेत्र में गरिमा और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

6 **efgyk gYiykbu 181%&**यह एक अखिल भारतीय टोल–फ्री हेल्पलाइन है जिसे संकटग्रस्त महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इसमें कानूनी परामर्श, पुलिस सहायता, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यह पहल महिला सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त मंच के रूप में उभरी है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

वर्तमान में ग्राम पंचायत की सरपंच, जनपद पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यी उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पदों पर महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति सहज ही दिखती है। महिलाओं की सशक्त भूमिका की पृष्ठभूमि रचती पंचायतराज व्यवस्था पर विचार करें तो यह बात सहज ही प्रतीत होती है कि पंचायतराज व्यवस्था ने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्म चेतना को बढ़ाया है। बतौर उदाहरण इस संदर्भ में रीवा जिले की पंचायतों की पृष्ठभूमि पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि–1994 के बाद आई नवीन त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में पंचायत के प्रथम निर्वाचन पर जिला पंचायत अध्यक्ष अहम पद पर श्रीमती मंजुलता तिवारी निर्वाचित हुई। उनके बाद बबिता साकेत, आशा सिंह, नीता कोल, विभा पटेल इन गरिमामय पदों पर आसीन हुई।

रीवा जिले के पंचायत संरचना पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होता है कि जिले में नौ जनपद पंचायत क्रमशः रीवा, रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना, त्योंथर, सिरमौर, जवा है जिनमें निर्वाचन के दौरान, अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वर्ग की महिलाएँ ससम्मान निर्वाचित होकर गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ पद दायित्व का निर्वाचन कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के इन प्रवर पदों के अलावा ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच, जनपद सदस्य जैसे पदों पर भी अपनी महत्वपूर्ण सम्मानजनक भूमिका महिलाओं की देखी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में पंचायतीराज व्यवस्था के विविध इकाईयों के सम्बन्ध में चिन्तन–परक विद्वानों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि नवीन त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की नीतियाँ आधारभूत स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उत्तरोत्तर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

rkfydk Øekad&1

f=Lrjh; iapk;rh jkt 0;oLFkk esa efgykvksa dk fy, lkFkd ,oa mi;ksxh

Ø-	fooj.k	vko`fÙk	izfr"kr
1	हाँ	50	71.43
2	नहीं	14	20.00
3	पता नहीं	6	8.57
;ksx		**70**	**100**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 6, March 2026
Impact Factor: 8.2

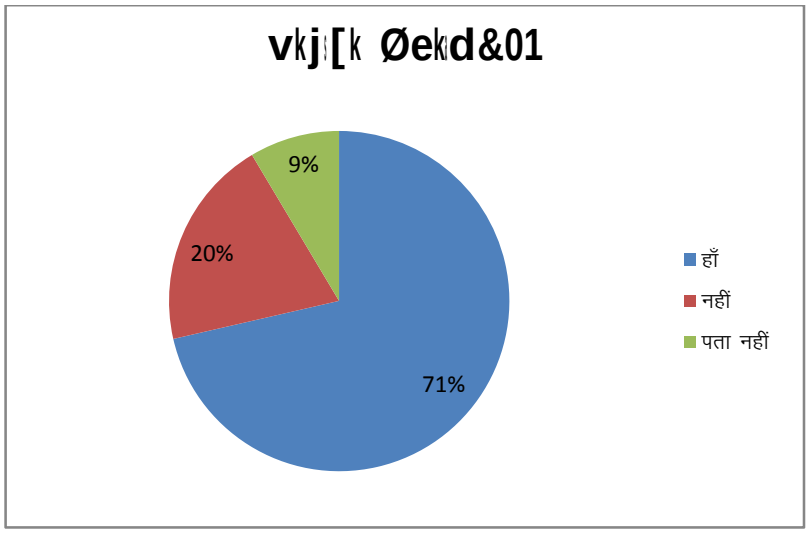

तालिका के विश्लेषण करने पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सार्थक एवं उपयोगी के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 71.43 प्रतिशत को उत्तरदाताओं ने हाँ कहा, 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं कहा जबकि 8.57 प्रतिशत के उत्तरदाताओं का कथन है कि पता नहीं अर्थात् जानकारी नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिकांश 70.79 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए सार्थक और उपयोगी है, जो महिला सशक्तिकरण में सहायक है।

rkfydk Øekd&2

f=Lrjh; ipk;r jkt efgykvk d vkfFkd lkekftd fodkl e lgk;d

Ø-	fooj.k	vkofÙk	ifr"kr
1	सहायक	60	85.72
2	सहायक नहीं	8	11.43
3	कुछ कह नहीं सकते	2	2.85
;kx		70	100-00

तालिका का विश्लेषण करने पर त्रिस्तरीय पंचायत राज महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 85.72 प्रतिशत उत्तरदाता त्रिस्तरीय पंचायत राज महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक है, 11.43 प्रतिशत उत्तरदाता त्रिस्तरीय पंचायत राज महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में है जबकि 2.85 प्रतिशत के उत्तरदाता इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पायें।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Volume 6, Issue 6, March 2026
ISSN: 2581-9429
Impact Factor: 8.2

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि चूँकि 85.72 प्रतिशत उत्तरदाता त्रिस्तरीय पंचायत राज महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक मानते हैं। अतएव माना जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक है जो महिला सशक्तिरण के विषय का सूचक है।

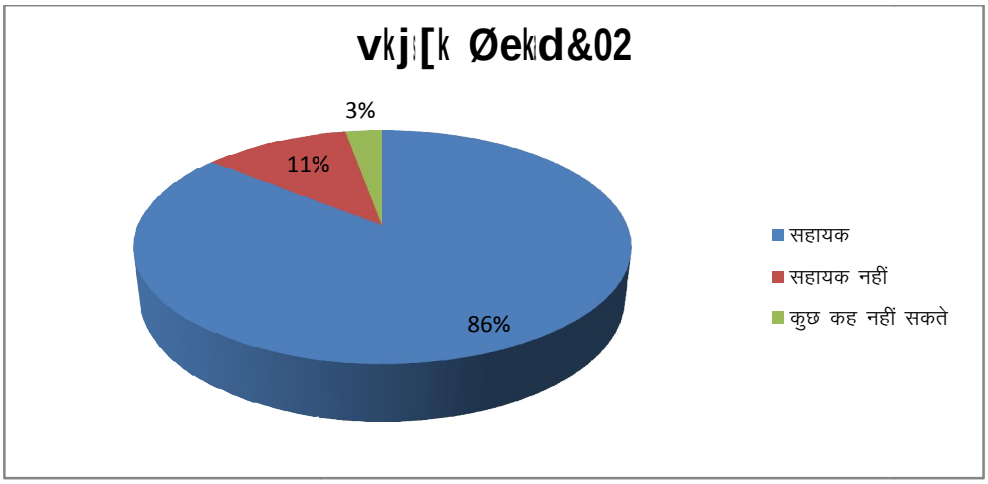

rkfydk Øekd&3

vkjf{kr oxZ dh efgyk,a uo mRlkg ls ipk;r 0;oLFkk esa Hkkxhnkj

Ø-	fooj.k	vko`fÙk	ifr"kr
1	भागीदार	57	81.42
2	भागीदार नहीं	9	12.86
3	कह नहीं सकते	4	5.72
;ksx		70	100-00

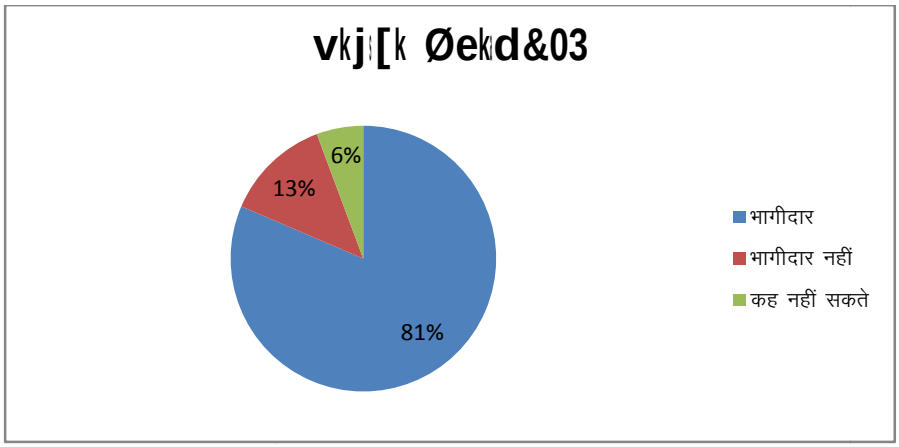

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

तालिका का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि आरक्षित वर्ग की महिलाएं नव उत्साह से पंचायत व्यवस्था में भागीदार हो रही हैं के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 81.42 प्रतिशत को उत्तरदाताओं ने कहा आरक्षित वर्ग की महिलाएं नव उत्साह से पंचायत व्यवस्था में भागीदार हैं तथा 12.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि आरक्षित वर्ग की महिलाएं नव उत्साह से पंचायत व्यवस्था में भागीदार नहीं हैं।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आरक्षित वर्ग की महिलाएं नव उत्साह से पंचायत व्यवस्था में 81.42 प्रतिशत उत्तरदाता भागीदार हैं। यह भागीदारी से महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव ऊर्जा शक्ति का परिचायक है जिसके माध्यम से उपेक्षित और मंच विहीन महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व में आगे आने का अवसर मिल रहा है।

rkfydk Øekad&4

f=Lrjh; iapk;r lLFkkuk e inu efgyk lnL;k dh Hkfedk iHkko'kkyh

Ø-	fooj.k	vkofÙk	izfr"kr
1	प्रभावशाली	54	77.74
2	प्रभावशाली नहीं	12	17.14
3	कह नहीं सकते	4	5.72
;ksx		70	100-00

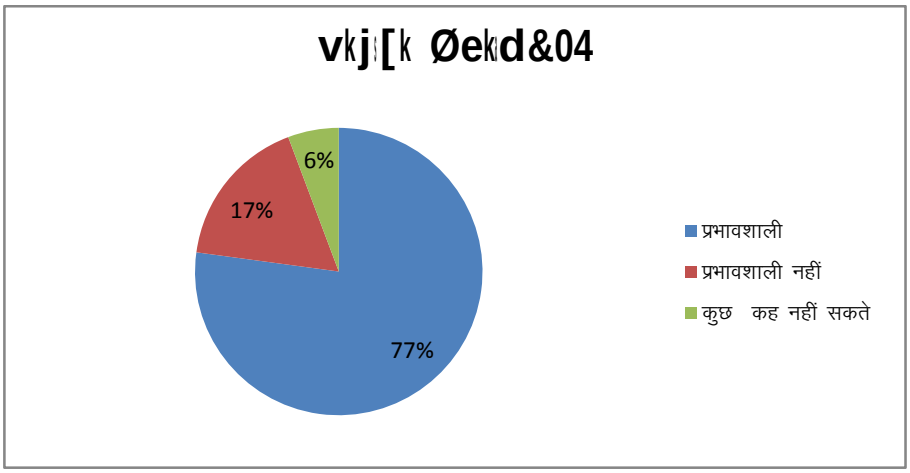

तालिका का विश्लेषण करने पर त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों में पदेन महिला सदस्यों की भूमिका प्रभावशाली के संबंध में उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि 77.74 प्रतिशत को उत्तरदाताओं ने कहा त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों में पदेन महिला सदस्यों की भूमिका प्रभावशाली प्रभावशाली हैं तथा 17.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा प्रभावशाली नहीं हैं जबकि 5.72 प्रतिशत के उत्तरदाताओं का कथन है कि कह नहीं सकते।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि चूँकि 77.74 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों में पदेन महिला सदस्यों की भूमिका प्रभावशाली है। अतएव माना जा सकता है कि पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से प्रारंभ हुआ नव प्रयोग महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है।

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

l'kfDrdj.k d {k= %& महिला सशक्तिकरण के विविध क्षेत्र अलग–अलग तरीके से रेखांकित किये जाते हैं जिनमें प्रमुख रूप से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को पारम्परिक व्यवस्था से आगे निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुडने का अवसर सहजता से मिल रहा है।

lkekftd l'kfädj.k– आज महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने लगी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभियान आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी लिंग आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि समस्याएँ व्याप्त हैं।

jktuhfrd l'kfädj.k %&भारतीय संविधान ने महिलाओं को मताधिकार का समान अधिकार दिया। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे लाखों महिलाएँ ग्राम, जनपद और जिला स्तर की राजनीति में भाग लेने लगीं। कुछ राज्यों में यह आरक्षण पचास प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा संसद में महिला आरक्षण बिल की चर्चा ने राजनीतिक भागीदारी को और बल दिया है।

vkfFkd l'kfädj.k%&महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सशक्तिकरण का एक प्रमुख आधार है। स्वयं सहायता समूह, महिला बैंक, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं, घरेलू कामगारों और कृषि मजदूरों के लिए अब भी संरक्षित वातावरण की कमी है।

'kS{kf.kd l'kfDrdj.k %&शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण की रीढ़ है। यह न केवल आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के विरुद्ध महिलाओं को जागरूक भी करती है। सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, किशोरी बालिका योजना, और डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है। फिर भी, बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर, उच्च शिक्षा में कम भागीदारी और तकनीकी शिक्षा में अल्पसंख्यक उपस्थिति आज भी चुनौती बनी हुई है।

efgyk l'kfDrdj.k esa ehfM;k %&महिला सशक्तिकरण के प्रचार–प्रसार में सकारात्मक भूमिका निभाई है। महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और मुद्दों को मुख्यधारा की चर्चा में लाने में सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है। साथ ही, कई बार मीडिया द्वारा महिलाओं की बस्तुकरण, गलत छवि निर्माण और ट्रोलिंग जैसे नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मीडिया की भूमिका दोधारी है।

pqukSfr;k¡ %&

परम्परा से हटकर नई व्यवस्था ने महिलाओं को घर आंगन से बाहर आकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग तो प्रशस्त किया परन्तु पितृसत्तत्मक व्यवस्था ने महिलााओं के इस नई समाजिक भूमिका को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही है। जिसका सबसे अधिक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव जनप्रतिनिधित्व क्षेत्र में देखने को मिलता है। महिलाएं जब अपने स्वतंत्र चेतना के माध्यम से आगे आने का उपक्रम करती हैं तो उन पर विविध प्रकार के अवरोधात्मक प्रतिवाद का सामना करना पड़ता है। महिला प्रतिनिधियों को पद ग्रहण करने के पश्चात कदम–कदम पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है–

pkfj=d guu % महिला प्रतिनिधियों को चरित्र हनन के स्तर पर उतरकर हतोत्साहित किया जाता है।

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

- **jktuhfrd HknHkko %** लैंगिक विभेद के अतिरिक्त जातीय विभेद और दलगत राजनीति भी एक बड़ी चुनौती है।
- **rduhdh Kku dk vHkko %** लेखा–जोखा रखने संबंधी चुनौती, डिजिटल निरक्षरता, कार्य प्रणाली, नियम, अधिनियम और शासनादेशों की उचित जानकारी का न होना।
- **fir`lÙkkRed 0;oLFkk %** कागजी कार्यों में पुरुषों पर निर्भरता और निर्णय लेने की शक्ति का सीमित होना।

महिलाओं के पंचायती राज में सक्रिय भागीदारी को प्रयोगात्मक बताने वाली लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि महिला प्रधान नेतृत्व में ग्रामीण विकास स्वाभाविक रूप से अग्रसर हुआ है। महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया गया है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर थीं। महिला प्रधानों ने अपने क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, जल संसाधन और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य किया है, जिससे ग्रामीण विकास में बड़ा बदलाव आया है। संविधान द्वारा दिया गया यह अवसर महिलाओं के अंतर्गत विकास में भागीदारी को तो सुनिश्चित करता ही है, साथ में उनके नेतृत्व की क्षमता को भी बढ़ाता है और उसका विकास करता है। महिला प्रतिनिधियों के द्वारा नीति निर्माण के साथ ही विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी भी शक्ति रूप से की जा रही है।

पंचायत में महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो सीधे–सीधे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह एक सकारात्मक पहल है। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्वयं महिलाएं कर रही हैं। इसमें निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें प्रमुखः– महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, बाल विवाह को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास आदि। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, उनके माध्यम से समाज में महिलाओं की प्रगति तथा सुरक्षा में तो सुधार हुआ ही है, साथ ही लैंगिक समानता में भी सुधार देखने को मिला है।

fu"d"k %&

महिला सशक्तिकरण की यात्रा आजादी पश्चात् विकासशील प्रक्रिया का बहुआयामी आयाम बनी जिसमें ऐतिहासिक प्रतिबद्धता, सामाजिक समन्वय नीतिगति पहलू, व्यक्तिगत प्रयास, संवैधानिक अधिकाार जैसे मानक प्रमुख रहे। सशक्तिकरण की इस पहल में महिलाओं को शैक्षणिक अवसर, रोजगार की स्वतंत्रता, राजनैतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकार की प्रासंगिकता को परिमार्जित किया। जिससे महिलाएं आधी आबादी के रूप में समाज में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वर्तमान में राजनैतिक समीकरणों को एक मतदाताा के रूप में अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य के रूप में अनुभूति करते हुए महिलाएं निर्णायक भूमिका में दिखने लगी हैं निर्वाचन में सफलता के मानक महिलााएं हैं यह निर्वाचन पूर्व महिलाओां के सम्मान में घोषित होने वाली विभिन्न शीर्षकों की नीतियाँ हैं। इस प्रकार जमीनी स्तर पर एक खुली और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पंचायत एक ऐसी संस्था है जो आम सहमति प्राप्त कर सकती है। जब महिलाओं को अवसर प्राप्त होता है, तब वे अपनी काबिलियत से शानदार सफलता प्राप्त करती हैं। आज भारतीय महिलाएं और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित व पुष्ट करने वाली साबित हो रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से लेकर लोक कला तक, उन्होंने हर क्षेत्र को नए तरीके से संवारा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विभिन्न सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 6, March 2026 Impact Factor: 8.2

I nHk I ph %&

[1]. शर्मा रितू, ''महिला सशक्तिकरण के नये आयाम'', रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2016

[2]. आर्य राकेश कुमार, ''महिला सशक्तिकरण और भारत'', डायमंड बुक्स, नई दिल्ली, 2020

[3]. यादव, वीरेन्द्र सिंह, ''21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण'' : मिथक एवं यथार्थ, ओमेग पब्लिकेशन, 2010

[4]. अग्रवाल, प्रमोद कुमार, ''भारत में पंचायती राज : ज्ञान गंगा नई दिल्ली, 2018

[5]. व्यास, आशा, ''पंचायती राज में महिलाएँ'', पोइंटर पब्लिकेशन जयपुर, 2012

[6]. रस्तौगी नीरू, ''महिला सशक्तिकरण में आर्थिक स्वावलंबन व शिक्षा की भूमिका'', कर्णवती पब्लिकेशन अहमदाबाद, 2017

[7]. Ministry of Finance. 2023. Sukanya Samriddhi Yojana : rules and Updates. Government of India Publication Division.

[8]. National Commission for Women (NCW). 2020. Women in India : Progress and Challenges. NCW Annual Report.

[9]. रहमानी, सबीहा, भारतीय मुस्लिम महिलाएँ एवं सशक्तिकरण, अध्ययन पब्लिकेशर्स, नई दिल्ली, 2016

[10]. शर्मा, सवालिया बिहारी, महिला जागृति और सशक्तिकरण, अविष्कार पब्लिशर्स जयपुर, 2014